

प्रेषक,
राधे श्याम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
एटा, देवरिया, महाराजगंज।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: १३ फरवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018-19 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के लिए धनावटन हेतु एमएचए के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दि०: 08.04.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन के आइटम नं०-3(क) के प्राविधान-प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्वोथिंग मेडीकल केयर, इटीसी फार पीपुल अफेक्टेड इवैकुवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प के अनुसार गृह विहीन/ निराश्रित/ असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु **रु० 62,00,000/- (रुपये बासठ लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम	जनपद क नाम पत्रांक/दिनांक:	कम्बल क्रय किए जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रुपये मे)	अलाव जलाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रुपये मे)	जनपद हेतु स्वीकृत कुल धनराशि (रुपये मे)
1	2	3	4	5
1	एटा, पत्रांक: 4014, दि०: 30.01.2019	15,00,000	----	15,00,000
2	देवरिया, पत्रांक: 1058, दि०: 21.01.2019	25,00,000	----	25,00,000
3	महाराजगंज, पत्रांक: 3385, दि०: 31.01.2019	20,00,000	2,00,000	22,00,000
कुल योग		60,00,000	2,00,000	62,00,000 (रुपये बासठ लाख मात्र)

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-3271/एक-10-2018-12(34)/03 टीसी-1, दिनांक: 19.11.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
(राधेश्याम मिश्र),
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज ।
 - 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त उ०प्र०।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।
 - 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ०प्र०।
 - 5- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
 - 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
 - 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(राधेश्याम मिश्र),
विशेष सचिव ।